production targets should be provided.

7. Inter-ministerial assistance to be assured.

8. Revival proposals prepared jointly by unions and managements should be considered.

9. Government should explore the possibilities of merger/amalgamation of sick units for their revival.

10. NRF should be utilised for redeployment/retraining.

11. State Government should also be engaged in the tripartite consultation.

12. There should be no closure or winding up of any unit.

13. Necessary budgetary support to the sick units should continue.

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अतिक्रमण**

6324. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अतिक्रमण किये जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान एस अतिक्रमण के मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) :** (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों समुचित सरकारें हैं । समुचित सरकारों ने अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन करने के लिए प्रवर्तन तन्त्र का गठन किया है । अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के बारे में जब भी कोई सूचना उनकी जानकारी में आती है प्रवर्तन तन्त्र द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रभारी कार्यान्वयन करने की आवश्यकता पर जोर देती रही है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राजस्व कल्याण आदि अन्य विभागों की सहायता से प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण करें ताकि जिलास्तरीय निगरानी समितियां गठित करने के लिए निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जा सके एवं मीडिया के माध्यम से अधिनियम के उपबन्धों का विस्तृत रूप से प्रचार भी करें ।

**बाल नीति की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग**

6325. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

**श्री इकबाल सिंह :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाल नीति की जांच करने के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का गठन कब तक कर दिया जायगा ;

(ग) क्या सरकार ने आयोग के विचारणीय विषयों का मसौदा तैयार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?